अपील सूचना अधिकार संख्या 105/2015 अनवानी श्री हंसराज पुत्र बृजलाल जाति जाट धतरवाल निवासी कूपली तहसील श्रीविजयनगर बनाम 1—सहायक लोक सूचना अधिकारी/ जिला रसद अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर 2— मै0 कृष्णलाल शिवराज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.05.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हंसराज के अभिभाषक श्री श्योपतराम उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड़, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.03.2015 के द्वारा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से ग्राम पंचायत 16 ए.एस. (कूपली) के डिपो होल्डर के संबंध में सूचना चाही गई थी। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 16.04.15 को भिजवाया गया और उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र संबंधित उचित मूल्य दुकानदार को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 27.04.15 के पत्र से भिजवाया गया। उनका आगे कथन है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 04.05.15 को उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को लिखित में दिया गया कि वह दिनांक 01.05.15 को रिकार्ड की फोटो कॉपी करवाने के लिए ले जा रहा था तो रास्ते में मोटर साईकिल से बैग जिसमें समस्त रिकार्ड रखा हुआ था गिर गया है। जिसकी उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करवाये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा भी रिकार्ड गुम होने की जांच रिपोर्ट दी है। रिकार्ड गुम होने के कारण सूचना नही दी गयी है जबकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.03.2015 को आवेदन पत्र सूचना के लिए दिया गया था जिसकी निर्धारित 30 अवधि में सूचना 23.04.15 तक उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी जबकि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिन पश्चात रिकार्ड दिनांक 01.05.15 को गुम होना बताया गया है। इस प्रकार रिकार्ड गुम होने की बहानाबाजी की गई है और एफआईआर भी दर्ज नही करवाई गई है। अतः लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय को दिनांक 08.04.15 को प्राप्त हुआ था जो उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को दि0 16.04.15 को प्रेषित कर दिया गया था व उपखण्ड अधिकारी 27.04.15 को संबंधित उचित मूल्य दुकानदार को प्रेषित किया गया है। इस प्रकार आवेदन पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में व दूसरे कार्यालय से तीसरे कार्यालय में अन्तरण करने में समय लगना स्वभाविक है जिसमें किसी प्रकार से देरी नही हुई है। उनका यह भी कथन है कि संबंधित उचित मूल्य दुकानदार का रिकार्ड गुम होने व उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करवाये जाने पर रिकार्ड गुम होना पाये जाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हंसराज ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 23.03.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचनां चाही थीः—

> 16 ए.एस. (कुपली) ग्राम पंचायत में आवंटित डिपो संचालक कृष्णलाल/ शिवराजसिंह के डिपो पर दिनांक 01 मार्च 2014 से 15 मार्च 2015 तक विभाग डिपो पर कौन कौन सी व कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री व मिटटी का तेल भेजा गया। संचालको द्वारा ग्राम पंचायत 16 ए.एस. कूपली में एक वर्ष (01 मार्च से 15 मार्च 15 तक) राशन कार्ड डिपो की खाद्य सामग्री व मिट्टी का तेल बांटा गया। इस चाही गई समस्त सूचना का ब्यौरा देने का कष्ट करें।

जिला कलैक्टर

लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई भी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत उपलब्ध अभिलेख के आधार पर ही नियमानुसार आवेदक को उपलब्ध करवाई जा सकती है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ से संबंधित अभिलेख उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के प्रतिवेदन दिनांक 12.08.15 के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 01.05.15 को प्रातः 11 बजे मोटर साईकिल पर विजयनगर आते हुए रास्ते में मोटर साईकिल से बैग गिर जाने के कारण संबंधित रिकार्ड व अन्य दस्तावेजात गुम हो गये है जिस कारण प्रार्थी को वांछित सूचनांए उपलब्ध नही हो सकी। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी को भी दिनांक 25.06.15 को उक्त अभिलेख गुम होने की सूचना दी जा चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

चूंकि सूचनांओ से संबंधित अभिलेख गुम होने के संबंध में संबंधित थाना में विभाग द्वारा या उचित मूल्य दुकानदार द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है तो उसकी प्रति अपीलार्थी को भी दी जावे। यदि कोई एफआईआर अभिलेख गुम होने के संबंध में दर्ज नही करवाई गई है तो अभिलेख गुम होने के सम्बन्ध में एफआईआर दर्ज करवावे और एफआईआर की एक प्रति अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवाई जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर व उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 22.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर